

मनसुखी पट्टानामा कृषि भूमि

स्टाम्प.....रूपये

स्टाम्प क्रमांक..... दिनांक स्टाम्प की संख्या

मनसुखी पट्टा नामा आज दिनांक-----को
.....-----पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा-----
आयु--- वर्ष ----- निवासी -----तहसील ----- जिला -----
राज्य----- । (प्रथम पक्ष)

श्री/श्रीमती ----- पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा
----- आयु वर्ष ----- निवासी -----तहसील ----- जिला -----
राज्य----- (द्वितीय पक्ष) के मध्य निष्पादित किया गया है ।

कृषि भूमि खेवट/खतौनी/खसरा न० ----- तादादी----- कनाल----- मरला/विधा----- बिस्वा
का----- कुल हिस्सा क्षेत्रफल ----- कनाल-----मरला/बिधा----- बिस्वा----- वर्ग गज-----
वर्गमीटर स्थित गांव/शहर----- हदबस्त न०----- तहसील-----जिला----- जमाबन्दी वर्ष
----- कनाल/बिधा----- मरला/बिस्वा----- स्थित तहसील
----- जिला ----- जो अनुसूची में दर्शाया गया है, जिसका प्रथम पक्ष मालिक है जो
बरूवे पट्टा नामा कृषि भूमि म्याद ----- वर्ष (----- ता.....))
मुबलिग ----- रूपये वार्षिक की दर से बरूवे पट्टा नामा रजिस्ट्री नम्बर ----- तिथि----- सब
रजिस्ट्रार ----- द्वितीय पक्ष के पास पट्टे पर चली आ रही है क्योंकि पट्टे नामे का उद्देश्य पूर्ण
हो गया है इसलिए द्वितीय पक्ष को भूमि उपरोक्त को आगे पट्टा पर रखने में कोई लाभ नहीं है ।
इसलिए दोनों पक्षों ने अपनी रजामन्दी से उपरोक्त पट्टा नामा को निरस्त करने का फैसला लिया है
। पट्टा नामा को आज से निरस्त मानते हुए द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त भूमि का कब्जा प्रथम पक्ष को दे
दिया है । आज के बाद द्वितीय पक्ष का उपरोक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा । एक दूसरे पक्ष
की तरफ कोई लेनदारी देनदारी बकाया नहीं रही है । कागजात माल में पट्टा निरस्ती करण का
दाखिल खारिज/इन्तकाल द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के नाम करा देगा । आज के आद उपरोक्त भूमि
का मालिक प्रथम पक्ष होगा । यह है कि दाखिल खारिज प्रथम पक्ष के नाम द्वितीय पक्ष की गैर
हाजिरी में हो जावे तो द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः यह मनसुखी पट्टानामा लिख
दिया है कि बतौर साक्षी प्रमाण रहे ताकि समय पर काम आये । दिनांक-----

अनुसूचि

खेवट/खतौनी/खसरा न० ----- तादादी---- कनाल----- मरला/विघा---- बिस्वा का----
कुल हिस्सा क्षेत्रफल ---- कनाल----मरला/बिघा---- बिस्वा----- वर्ग गज----- वर्गमीटर
स्थित गांव/शहर----- हदबस्त न०----- तहसील-----जिला----- जमाबन्दी वर्ष

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

गवाह